

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 10/2013 सत्रवाद

गोकुल सिंह पुत्र रामभरोसे सिंह भदौरिया उम्र 28 वर्ष। निवासी बीच का पुरा मौजा कचोगरा थाना देहात जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोगी/परिवादी
बनाम

1. बसंत सिंह पुत्र बरनाम सिंह तोमर उम्र 35 वर्ष।
2. महीपत सिंह पुत्र बरनाम सिंह आयु 32 वर्ष।
3. दिनेश पुत्र बरनाम सिंह उम्र 27 वर्ष।
4. गुलाब सिंह पुत्र बरनाम सिंह उम्र 34 वर्ष।
5. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी बरनाम सिंह उम्र 53 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम सर्वा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।
6. बरनाम सिंह पुत्र पंचमसिंह।..... **फौत**
.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कु0 शैलजा गुप्ता
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 701/2012 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 10/2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि0 एवं यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि.।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 30-01-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण बसंत, मुन्नीबाई, महीपत, गुलाब, दिनेश का विचारण धारा 147, 148, 302 विकल्प में 302/149, 498ए भा0दं0वि0 के अपराध के आरोपी के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 15.04.12 की रात्रि 12-01 बजे के बीच ग्राम सर्वा गोहद

क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य मृतिका चंदा देवी पर बल प्रयोग करने का था बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त बलवा का अपराध कारित करते समय घातक आयुध पत्थर, सिल व लाठी से सुसज्जित थे। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका चंदाबाई की शासय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की और बैकल्पिक रूप से उन यह भी आरोप है कि मृतिका चंदा बाई की हत्या कारित करने का सामान्य उद्देश्य गठित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए चंदा देवी की शासय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की। उन पर यह भी आरोप है कि दिनांक 15.04.12 से करीब 10-11 वर्ष पूर्व से चंदा देवी जो कि आप आरोपी बसंत की पत्नी है अन्य आरोपीगण उसके नातेदार होकर दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया।

02. यह अविवादित है कि आरोपी बरनामसिंह की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने से अपराध का उपसमन हो चुका है।

03. वर्तमान प्रकरण जो कि परिवादी गोकुल सिंह के परिवादपत्र पर आधारित है। परिवादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से रहे हैं कि परिवादी/ अभियोगी की बहन चंदा देवी की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व आरोपी बसंत के साथ सम्पन्न हुई थी और उनकी पुत्री संतान जिसका नाम भारती है शादी के उपरांत से ही सभी आरोपीगण उसकी बहन को दहेज लाने के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। दिनांक 15.03.12 को चंदा देवी को आरोपीगण के द्वारा घर से निकाल दिया और वह अभियोगी के पास रहने के लिए आ गई थी। जिसे कि अभियोगी और समाज के व्यक्तियों ने पंचायत कर आरोपीगण के इस आश्वासन पर कि उसे ठीक से रखा जाएगा दिनांक 25.03.12 को बापस ससुराल सर्वा आरोपीगण के यहाँ रहने के लिए भेज दिया था। दिनांक 15.04.12 को अभियोगी के पास सूचना आई कि उसकी बहन चंदा की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना उपरांत वह स्वयं व परिवार के लोगों को लेकर ग्राम सर्वा पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी बहन चंदादेवी की लाश टीनसेट में जमीन पर पड़ी थी और उसका सिर कुचला हुआ था, खून और मॉस के छीटें इधर-उधर बिखरे हुए थे। कनपटी पर पत्थर की सिल रखी हुई थी। अभियोगी की भांजी और मृतिका चंदा की पुत्री भारती बगल के कमरे में थी और वह अभियोगी को देखकर रोने लगी। उसने अभियोगी को बताया कि उसकी माँ चंदादेवी को उसके पिता बसंत सिंह, चाचा महीपत सिंह, दिनेश, गुलाब एवं दादा बरनाम सिंह एवं दादी मुन्नी ने मारा है, उसे योजना बनाकर बगल के कमरे में लिटा दिया था और उसने कमरे से झाँककर घटना घटित होते हुए देखी थी। अभियोगी के

अनुसार जब वह पुलिस थाना गोहद चौराहा में रिपोर्ट करने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, आरोपीगण के प्रभाव में आकर उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक थाना गोहद चौराहा में महीपत को फरियादी का उल्लेख कर और बसंत को आरोपी बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 57/12 दिनांक 15.04.12 की लेखबद्ध की गई और आरोपी बसंत को गिरफ्तार करते हुए मन माने तौर से विवेचना की गई जब कि अभियोगी ने सुबह 09:30 बजे सभी आरोपीगण का नाम बताते हुए पुलिस थाना गोहद चौराहा में सूचना दी थी जिसकी पावती उसे दी गई थी, किन्तु थाना गोहद चौराहा के द्वारा इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई। अभियोगी के द्वारा जन शिकायत निवारण विभाग, पुलिस अधीक्षक भिण्ड और पुलिस महानिरीक्षक भिण्ड को पत्र लिखे थे। आरोपी पक्ष ने अतिशीघ्र प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कराकर दिनांक 29.05.12 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भिण्ड के समक्ष चार्जशीट पेशकरा दी और परिवादी की शिकायत पर कोई जाँच नहीं की। पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा विवेचना फरियादी से मिल जुलकर की गई थी और विवेचना पूर्ण करते हुए मात्र बसंत सिंह के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत कर दिया और अन्य आरोपीगण के 161 सी.आर.पी.सी. के कथन लेखबद्ध कर लिए गए जो कि आरोपीगण को बचाने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई थी। पुलिस के द्वारा सही रूप से कार्यवाही और विवेचना न करने के कारण परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है जो कि न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद के द्वारा उपरोक्त परिवादपत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 302, 498ए, 120बी, भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाकर उपापण की कार्यवाही की गई जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 147, 148, 302 विकल्प में धारा 302/149, 498ए भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 15.04.12 को रात्री 12-01 बजे के बीच ग्राम सर्वा गोहद थाना क्षेत्र में आरोपीगण के द्वारा जो कि संख्या में 5 थे विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका कि सामान्य उद्देश्य चंदा देवी पर बल प्रयोग करने का था उसके सदस्य रहते हुए चंदा देवी पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा

कारित किया?

2. क्या आरोपीगण के उपरोक्त बलवा अपराध कारित करते समय घातक आयुध पत्थर की सिल व लाठियों से सुज्जित थे?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा चंदा देवी की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की?

बैकल्पिक रूप में

क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका चंदादेवी की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए मृतिका चंदा देवी की साशय या जानबूझकर हत्या कारित की?

4. क्या दिनांक 15.04.12 से करीब 10-11 साल पूर्व से चंदा देवी जो कि आरोपी बसंत की पत्नी तथा अन्य आरोपीगण जो कि उसके पति के नातेदार होते हुए उसे दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 4:—

07. डॉ० आर०विमलेश अ०सा० 3 जिन्होंने कि दिनांक 15.04.12 को मेडीकल ऑफीसर के पदस्थ दौरान 15.04.12 को मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान थाना गोहद चौराहा के द्वारा लाए जाने पर मृतिका चंदा देवी पत्नी बसंत सिंह के शव का परीक्षण सुबह 10:30 बजे किया था। मृतिका जो कि करीब 32 वर्ष की उम्र की महिला थी जो चित अवस्था में शव परीक्षण टेबिल पर लेटी हुई थी जिसका सिर वाएं ओर मुड़ा हुआ था, शव पीला दिखाई दे रहा था, शरीर पर अकडन गर्दन के नीचे मौजूद थी। मृतिका ब्लाउज, साक्षी और पेटीकोट पहने हुई थी जिन पर खून के निशान लगे हुए थे, सिर एवं चेहरा कुचलने के कारण अपनी सामान्य स्थिति में नहीं था जो कि पिचक कर चपटा हो गया था, हड्डियाँ टूटी हुई थी एवं मस्तिष्क के टुकड़े होकर चेहरे एवं बालों से लगे हुए थे, सिर की समस्त हड्डियाँ टूटी हुई थी और जबड़े की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई थी। सिर की हड्डियाँ 4 से.मी. गुणा 3 से.मी. से 2.1 से.मी. गुणा 1.4 से.मी. आकर में टूटी हुई थी, कुछ छोटे छोटे टुकड़े ऐसे थे जिन्हें गिना नहीं जा सकता था। सिर की हड्डियों से ब्रेन निकल जाने के कारण खोखली गुफा के रूप में दिखाई दे रहा था। ब्रेन के कुछ टुकड़े, टूटे

हुए स्कल वहाँ की हड्डियों से चिपके हुए थे जो कि टुकड़े 4.6 से.मी. गुणा 3.6 से.मी. आकार में थे। दोनों आँखें खुली हुई थी और पुतली फेली हुई थी। आँखों के पलक एवं आँखों में खून के धब्बे थे, मुँह की दाईं तरफ दाँत दिखाई दे रहे थे जो कि संख्या में चार थे। जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ के सभी आंतरिक अंग फ्रेक्चर हो गए थे।

08. साक्षी ने आगे यह बताया है कि मृतिका की मसल्स एवं रक्त वाहिनियाँ, ब्रेन मटेरियल, जमा हुआ रक्त उपस्थित था। चेस्ट, बक्षगुहा को खोलने पर लगभग डेढ़ लीटर खून भरा हुआ था और बहुत सारे खरौंच के निशान थे जिनकी संख्या 8 थी जिनका आकार 8.3 से.मी. गुणा 1/2 से.मी. से लेकर 1/2 से.मी. गुणा 1/4 से.मी. के थे जो कि छाती की दोनों ओर उपरी हिस्से में थे। उक्त सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी। मृतिका के सिर तथा छाती की चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई थी जो कि परीक्षण के 24 घण्टे की अवधि की थी। मृतिका के दोनों तरफ की 1 से 9 तक की पसलियाँ टूटी हुई थी तथा 2 से 8 तक की बाईं तरफ की पसलियाँ टूटी हुई थी। मृतिका के फेंफड़ों में टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े फसे हुए थे, दोनों फेंफड़े पेलोर थे, फेंफड़ों के उपर की झिल्ली टूटी हुई थी। हृदय का दाहिना कोस्ट फटा हुआ तथा खाली था। मृतिका का यकृत, तिल्ली, गुर्दा पेलोर थे, मृतिका के मूत्राशय में अर्द्ध मात्रा में मूत्र होना पाया गया था। अपने अभिमत में उनके द्वारा बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु उसके सिर में आई हुई चोट के कारण हुए अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 16 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए हैं।

09. मृतिका चंदाबाई की मृत्यु हो जाने का जहाँ तक प्रश्न है। उसकी मृत्यु हो जाना साक्षी भारती अ0सा0 1, गोकुलसिंह अ0सा0 2, रामकली अ0सा0 5, रामभरोसे अ0सा0 6 के कथनों में आया है जिन्होंने कि मृतिका चंदाबाई की मृत्यु हो जाना बताया है।

10. मृतिका चंदाबाई की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है। मृतिका चंदाबाई की हत्या होना साक्षी गोकुल अ0सा0 2 के द्वारा बताया गया है तथा साक्षी रामपाल अ0सा0 4 रामकली अ0सा0 5 तथा रामभरोसे अ0सा0 6 ने भी अपने साक्ष्य कथन में चंदाबाई की लाश को देखना बताया है। डॉ० आर०विमलेश के द्वारा भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु सिर और छाती में आई हुई चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण हुई थी। इस प्रकार मृतिका चंदा की मृत्यु सदोश मानव वध की कोटि का होना प्रमाणित है।

11. अभियोजन/परिवादी के द्वारा घटना के चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी कुमारी भारती अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में उसकी माँ चंदा बाई के खत्म होना बताते हुए यह बताया है कि वह घटना के समय अपने चाचा के घर पर थी। सुबह उसे मालूम हुआ कि

उसकी माँ की किसी ने हत्या कर दी है, उसकी माँ की हत्या किस के द्वारा की गई इस बारे में उसे पता नहीं। इस प्रकार घटना की उक्त चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा परिवाद पत्र में बताए गए प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है और उसके कथनों में आरोपीगण या किसी आरोपी की घटना स्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा घटना कारित किए जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं आई है। साक्षिया को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव को गलत बताया है कि उसकी माँ को उसके पिता बसंत, चाचा महिपत व दिनेश, गुलाब तथा बाबा बरनाम और दादी मुन्नी देवी सभी ने मिलकर पत्थरों से मारा है और इस बात से भी इंकार किया है कि उसने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसने अपने कमरे की खिड़की से घटना देखी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके सामने उसकी माँ की हत्या नहीं हुई थी। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा बताए गए उक्त चक्षुदर्शी साक्षी के कथन से अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं होती है।

12. अभियोजन/परिवादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी स्वयं परिवादी गोकुलसिंह अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि उसके पड़ोस में दूसरा मजरा है वहाँ के किसी लडके ने उसे बताया था कि उसकी बहन चंदा की किन्हीं लोगों ने हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर वह परिवार सहित बहन के घर सर्वा गया था वहाँ पर हरेन्द्र सिंह मिले थे और उन्होंने कहा था कि उनके सम्पर्क के ग्वालियर में वकील है उनसे सब कार्यवाही करा लेगा। इस आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के यहाँ इस्तगासा पेश कर दिया था जिस पर कि केवल उसने हस्ताक्षर किए थे उसे पढा नहीं था। अपनी बहन की हत्या के संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड व म0प्र0 शासन और पुलिस महानिरीक्ष भोपाल को दिए गए आवेदन प्र. पी. 3, 4, 5 पर भी अपने हस्ताक्षर होना उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है तथा हरेन्द्र सिंह के कहे अनुसार ही न्यायालय में प्र.पी. 6 का कथन देना उसके द्वारा बताया गया है। साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी बहन से दहेज की कोई मांग आरोपीगण के द्वारा कभी भी नहीं की गई। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए हैं किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण महिपतसिंह, दिनेशसिंह, गुलाबसिंह व उनके पिता बरनाम सिंह सब अलग अलग रहते हैं।

13. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामपाल सिंह अ0सा0 4 जो कि मृतिका का चचेरा भाई है। रामकली अ0सा0 5 जो कि मृतिका की माँ है और रामभरोसे अ0सा0 6 जो कि मृतिका के पिता है। उक्त साक्षियों के कथनों में भी परिवादी के प्रकरण को किसी प्रकार से समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि

आरोपीगण के द्वारा या किसी आरोपी के द्वारा कोई घटना की गई हो अथवा घटना में उनकी किसी प्रकार की कोई संलिप्तता प्रमाणित होती हो। यद्यपि उनके कथनों में चंदाबाई की मृत्यु हो जाने के संबंध में साक्ष्य आया है, किन्तु चंदा बाई को आरोपीगण के द्वारा दहेज की माँग को लेकर परेशान व प्रताड़ित करने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं आया है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में भी यह तथ्य आया है कि आरोपी बसंत अपनी पत्नी चंदा से अलग रहता था और शेष आरोपी उनसे अलग रहते थे। इस प्रकार उपरोक्त परिवादी साक्षीगण के कथनों के आधार पर भी आरोपीगण या किसी आरोपी के अपराध में संलग्न होने या उनके द्वारा परिवाद पत्र के अनुसार बताए गया कोई अपराध जिसका कि उन पर आरोप लगाया गया है किए जाने की कोई पुष्टि नहीं होती है।

14. मृतिका चंदा की मृत्यु होने और उसकी मृत्यु सदोश मानव वध की कोटि में होना पाया गया है, किन्तु उसकी हत्या के संबंध में कथित चक्षुदर्शी साक्षी भारती अ0सा0 1 के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी के कथन के आधार पर आरोपीगण के घटना स्थल पर मौजूद होने अथवा चंदाबाई की हत्या होने की कोई पुष्टि नहीं होती है।

15. मृतिका की मृत्यु होने के संबंध में बताई गई परिस्थितियों का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में अभियोजन के द्वारा अपने तर्क के दौरान यह बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु रात के समय घर के अंदर हुई है उसके सिर पर भौतरी वस्तु से चोट आने के निशान हैं। ऐसी दशा में रात को घर के अंदर उसका पति और पति के रिस्तेदार जो कि अन्य आरोपी है वही मौजूद होने कहे जा सकते हैं। उक्त परिस्थिति इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मृतिका की हत्या आरोपीगण के द्वारा ही की गई हो।

16. अभियोजन के द्वारा लिए गए उक्त आधार जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में है यद्यपि घटना रात के समय की होनी बताई जा रही है और घटना में मृतिका चंदाबाई की मृत्यु हुई है, किन्तु परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन को इस परिस्थिति को पूर्णतः प्रमाणित करना होगा और कोई अशंका ऐसी नहीं रहना चाहिए जो कि आरोपी के निर्देश होने की परिकल्पना करता हो। आरोपी बसंत अथवा शेष विचारित किए जा रहे आरोपीगण महीपत सिंह, दिनेश सिंह, गुलाबसिंह एवं श्रीमती मुन्नीदेवी की घटना स्थल पर मौजूदगी घटना के समय होने का जहाँ तक प्रश्न है घटना स्थल पर उनकी घटना स्थल पर मौजूदगी का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन के द्वारा साक्षियों के कथनों में स्पष्ट रूप से यह आया है कि आरोपी बसंत अन्य आरोपी जो कि उसके भाई एवं माता पिता है उनसे अलग रहता था। इस प्रकार अन्य

आरोपीगण आरोपी बसंत के घर में घटना के समय गए हो अथवा मौजूद हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है।

17. जहाँ तक आरोपी बसंत के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किए जाने का प्रश्न है इस संबंध में आरोपी बसंत के द्वारा अभियुक्त परीक्षण के दौरान यह बताया गया है कि रात को वह गाँव के कल्लूसिंह के साथ दंदरौआ धाम रास देखने के लिए गया था जहाँ कि बृन्दावन की पार्टी आई थी, सुबह पांच बजे खबर मिली कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आरोपी बसंत के घटना की रात को दंदरौआ धाम चले जाने का समर्थन साक्षी कुमारी भारती अ0सा0 1, गोकुलसिंह अ0सा0 2, रामपाल सिंह अ0सा0 4 एवं रामकली अ0सा0 5 और रामभरोसे अ.सा.6 सभी के द्वारा यह बात बताई गई है कि घटना वाली रात बसंत दंदरौआ मंदिर पर रास देखने के लिए गया था। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी कलियानसिंह उर्फ कल्लू बचाव साक्षी क्रमांक 1 पेश किया गया है जिसके द्वारा यह बताया गया है कि जिस रात बसंत की पत्नी की हत्या हुई थी उस रात वह बसंत के साथ दंदरौआधाम गया था जहाँ कि बृन्दावन की रास पार्टी आई थी और रास देखकर रात को मंदिर पर ही ठहर गये थे, सुबह 6 बजे मोबाइल पर खबर मिली थी कि चंदा की हत्या हो गई है फिरी गाँव पहुँचे थे तो वहाँ देखा था कि चंदा मरी पड़ी है और भीतर के कोठे में उसका बक्सा खुला पड़ा था जिसका सामान बिखरा पड़ा था। उक्त बचाव साक्षी कलियाणसिंह के कथन का समर्थन स्वयं परिवादी/अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी के कथनों के आधार पर भी होता है। ऐसी दशा में घटना दिनांक को बसंत के घर पर मौजूद होने या उसी के द्वारा मृतिका चंदा की हत्या किये जाने की परिस्थिति जो कि अभियोजन के द्वारा बताई जा रही है वह भी प्रमाणित नहीं होती है। इस संबंध में जहाँ तक अभियोजन/परिवादी साक्षियों के द्वारा धारा 200 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है, धारा 200 दं.प्र.सं. का कथन एवं परिवादपत्र सारवान साक्ष्य नहीं होती है। ऐसी दशा में साक्षियों के धारा 200 दं.प्र.सं. के कथनों के आधार पर वर्तमान अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता आरोपीगण के विरुद्ध सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।

18. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परिवादी/अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहना अथवा इस दौरान घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया जाना अथवा आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका चंदाबाई की हत्या कारित करना या सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त हत्या की घटना कारित करने अथवा दहेज की माँग को लेकर मृतिका चंदाबाई को प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता का

व्यवहार किया जाने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। तदनुसार आरोपीगण बसंतसिंह, मुन्नीबाई, महीपत, दिनेश और गुलाबसिंह को धारा 147, 148, 302 बिकल्प में धारा 302/149 एवं 498ए भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी बसंत को छोड़कर शेष आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

19. वर्तमान प्रकरण में कोई जप्तशुदा वस्तु नहीं है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड